

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
HOME-III DEPARTMENT  
5th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate New Delhi-110002

F. No. 17/1/2022/Home-III/ 2206

Dated: 23/3/22

To

Deputy Secretary (Question Branch),  
Delhi Legislative Assembly,  
Govt. of NCT of Delhi,  
Delhi-110054.

**Sub: - Vidhan Sabha Starred Question No. 221 raised by Shri Bhupinder Singh Joon for 29.03.2022**

Sir,

With reference to your letter No.F.11 (B-I)/VI/2020-25/VSS./Ques.Br./3219 dated 19.03.2022, please find enclosed herewith 100 sets of reply of Starred Vidhan Sabha Question No. 221 raised by Shri Bhupinder Singh Joon listed for 29.03.2022 for necessary action please.

This issue prior approval of Hon'ble Minister for Home, GNCTD.

Yours faithfully,



(VIVEK KUMAR NARESH),  
DEPUTY SECRETARY (HOME/FIRE)  
GOVT. OF NCT OF DELHI.

Encl: As above.

विभाग का नाम : गृह विभाग  
विभाग का पता : 5 वां तल , सी विंग, दिल्ली सचिवालय ।

अतारांकित प्रश्न संख्या -221

दिनांक : 29.03.2022

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री भूपिंदर सिंह जून

क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :- श्री सत्येन्द्र जैन, गृहमंत्री

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या अग्नि सुरक्षा उपायों की दृष्टि से सरकारी भवनों, अस्पतालों व अन्य वाणिज्यिक परिसरों का तृतीय पार्टी ऑडिट शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;	नए भवनों के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु जिन भवनों के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है उसके नवीनीकरण के लिए तृतीय पार्टी ऑडिट आरम्भ करने के लिए विचार किया जा रहा है।
(ख) क्या अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं से बचाव हेतु मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात की भांति शहर के भीड़भाड़ वाले बाजारों, बैंकवेट हॉल आदि में फायर टेंडर लगाने के कोई प्रस्ताव है;	ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
(ग) क्या दिल्ली में सभी रेस्तराओं, होटलों और अन्य व्यवसायिक भवनों के लिए अग्नि निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है : और	नहीं, सिर्फ उन रेस्तराओं , होटलों और अन्य व्यावसायिक भवनों को , जो दिल्ली फायर सर्विस रूल्स, 2010, के नियम 27 के अंतर्गत आते हैं, उन्हें ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है।
(घ) क्या सेक्टर 8 द्वारका नई दिल्ली में दिनांक 15.08.2021 को हुई अग्नि दुर्घटना के लिए जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी और अनेक व्यक्ति घायल हो गए थे, किसी विभाग, अधिकारी अथवा कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया गया था ?	इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा FIR संख्या 0403/2021 दर्ज करके जांच जारी है ।

हस्ताक्षर

भूपिन्दर मल्ला

(भूपिन्दर एस.मल्ला)

अतिरिक्त मुख्य सचिव,(गृह)